न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2008/00027
राजस्व वाद संख्या – 45/2008

1. गोपी पुत्र भगता, जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, हाल निवासी खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज0।

– – – वादी

बनाम

1. बोदू पुत्र स्व0 श्री रूडा(मृतक दौराने वाद)
   1/1. कालू पुत्र बोदू
   1/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदू
   1/3. मु0 रानी पुत्री बोदू
   1/4. मु0 लाडा देवी पुत्री बोदू
   1/5. मु0 तुफानी देवी पुत्री बोदू
   जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. प्रभात पुत्र स्व0 श्री रूडा(मृतक दौराने वाद)
   2/1. मु0 संतोष पत्नी प्रभात
   2/2. बाबूलाल पुत्र प्रभात
   2/3. मु0 मिश्री देवी पुत्री प्रभात
   2/4. मु0 मुन्नी देवी पुत्री प्रभात
   जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सरदार पुत्र स्व0 श्री रूडा, जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. सरकर जरिये श्रीमान तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमान उप पंजीयन अधिकारी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

– – – प्रतिवादीगण

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 16.05.2025

संक्षेप्त में वादीगण/वादीगण अधिवक्ता द्वारा दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0न0 पुराना 1441 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 04 कुल रकबा 1.0900 हैक्टे0 भूमि वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि का प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि पूर्व में भगता पुत्र स्व0 श्री नानगा, वादी के पिता के खातेदारी की भूमि थी। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:– नानगा(फौत) के वारिसान रूडा (फौत), मांग्या(फौत), भगता(फौत)। रूडा(फौत) के वारिसान बोदू प्रतिवादी 1, प्रभात प्रतिवादी 2, सरदार प्रतिवादी 3 एवं मांग्या(फौत) के वारिसान लादू वादी, छोटू वादी तथा भगता(फौत) के वारिसान गोपी है। इस प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 3 का खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है, लेकिन नानगा के पुत्र रूडा, मांग्या, भगता आदि को सबकी अलग अलग खातेदारी की कृषि भूमि थी जो कि संवत 2022 से लेकर [illegible] जमाबंदी में स्पष्ट अंकित है। प्रतिवादीगण नं: 1 लगायत 3 के

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला-जयपुर

पिता रूडा के नाम से खातेदारी को कृषि भूमि पुराना नम्बर 1440 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा जिसकी खतौनी संख्या पुरानी 446 व 495 थी जिसका हाल ख.नं. 5647, 5648 ही थी। और मांग्या पुत्र नानगा की भूमि खं.न. पूराना 1437 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा थी जिसकी खतौनी संख्या 308 व 307 है, जिसके हाल ख.नं. 5645, 5546 है। मांग्या के फोत होने के बाद उनके दोनो लडके लादू व छोटू के नाम खातेदारी में नाम दर्ज आज तक नहीं किया गया है जो फोत होने के बाद कानूनन नामान्तकरण वारिसान के नाम ही दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी के पिता भगता पुत्र स्व. नानगा के नाम भी भूमि ख.नं. 1441 रकबा 4 बीघा 6 बीस्वा खातेदारी में थी। जिसके हाल ख0न0 5639, 5640, 5641, 5642 है जो वर्तमान मे प्रतिवादीगणो के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी के पिता की कृषि भूमि जो संवत 2023 से लेकर संवत 2040 तक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी भगता पुत्र स्व. नानगा के नाम ही दर्ज चली आ रही है। जो भगता के फोत होने पर उसके वारिस गोपी के नाम नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था जो नही किया जाकर प्रतिवादीगण नं 01 ता. 03 द्वारा मिसल संख्या 873/1987 फैसला दिनांक 5–7–1988 के अनुसार फर्जी तरीका अपनाकर अपने नाम नामान्तकरण संख्या 62 के तहत गलत नामान्तकरण तस्दीक करवाकर दिनांक 5–7–88 को अपने हक में नामान्तकरण विवादग्रस्त भूमि का खुलवाकर राजस्व जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज कराने में सफलता प्राप्त कर ली। और जो हाल जमाबन्दी मे दर्ज करवा ली गयी है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता. 03 द्वारा भूमि ख.नं. 1441 हाल ख.नं. 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 4 रकबा 1.10 हैक्टे0 भूमि का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिसल संख्या 873/1987 फैसला दिनांक 5–7–1988 की जो अनुपालना में जो नामान्तकरण सं. 62 खोला गया है व भूमि का खातेदार एवं स्वामी ख.नं. 1441 का भगता पुत्र स्व0 नानगा था, जो वादी के पिता थे और भगता का एक मात्र वारिस व जायन्दा सन्तान वादी गोपी ही था। इसके अलावा भगता के अन्य कोई संतान नहीं थी। उक्त पत्रावली संख्या 873/1987 का सेटलमेन्ट विभाग में तलाश किया गया तो इस संख्या की मिसल नम्बर व फैसला दिनांक आदि काफी तलाश करने के बाद मे भी दरख्वास्त देहन्दा को प्राप्त नहीं हुई। बल्कि जो नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 19–1–2008 को एस.ओ. सीकर के यहां प्रस्तुत किया गया था। उसमे स्पष्ट रूप से लिखा है कि उक्त रिकार्ड व मिसल नहीं मिलने की वजह से उक्त पत्रावली की नकले नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से प्रतिवादीगण नं 01ता. 3 द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारियो से साज करके गलत तरीका अपनाते हुये विवादग्रस्त भूमि की गलत खातेदारी अपने नाम वादी के पिता की खातेदारी की भूमि को दर्ज करा ली, जो कानूनी तौर पर कतई गलत है, क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार से पूर्व को खातेदारी रिकार्ड में कांटछांट करने व रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार कतई नही है। यह कार्य केवल सक्षम न्यायालय के आदेश या रजिस्ट्री होने के बाद मे ही रिकार्ड बदला जा सकता है अन्यथा कतई नही। वादी वादग्रस्त भूमि ख.नं. 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी अपने नाम से कराने के लिये प्रतिवादीगण सं 01 ता. 03 को कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने कहते रहे कि हम तुम जब भी कहोगे, चाहोगे तब ही कलेक्ट्रेट मे चलकर तुम्हारे नाम हम राजीखुशी रजिस्ट्री या खातेदारी दर्ज करवा देंगे। लेकिन पुनः दिनांक 27–1–2008 को वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को खातेदारी कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता. 3 स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम तो तुम्हारे नाम जमीन की खातेदारी नही करायेंगे तुम जो चाहो सो करो, करते रहो, हम तुम को एक इंच भी जमीन भी नहीं [illegible] हो नाम करायेगे। बल्कि जो तुमने जमीन में फसल काश्त कर रखी

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

है, को उथेल कर तुम को भी कृषि भूमि से बेदखल कर देंगे। इस प्रकार वादी द्वारा गांव के मौजिजा लोगो को इक्कठा कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 को समझाने पर भी प्रतिवादीगण 1 ता. 3 नहीं माने तथा वादी से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और प्रतिवादीगण 1 ता 3 के द्वारा ऐलानिया धमकी देते हुये कहा कि हम तो तुम्हारे नाम जमीन की खातेदारी नही करायेंगे और ना ही रजिस्ट्री करायेंगे। इस तरह वादीगणों को प्रतिवादीगणो द्वारा धमकी मिलने के पश्चात वादीगणो को अपनी भूमि को खातेदारी नाम कराने के लिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 के खिलाफ वाद अधिकार घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ, जिससे वादी अपनी जमीन को सुरक्षित रख सके। और अपने नाम जमीन की खातेदारी करा सके। इसके अलावा वादी के पास अन्य कोई कानूनी विकल्प नही होने की वजह से वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी अपने परिवार में अकेले गरीब व अनपढ व्यक्ति है और प्रतिवादीगण काफी गालदार व बाहुल्य वाले व्यक्ति है जो वादी को विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा हटाकर भूमि व फसल से बेदखल करके विवादग्रस्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हो रहे है तथा दिनांक 28–1–2008 को इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 ने वादी के घर जाकर ऐलानिया धमकी वादी व वादीं के परिवार को दी और वादी द्वारा काफी समझाने पर भी प्रतिवादीगण सं० 1 ता. 3 नहीं माने, अगर प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को बेचान दीगर लोगो को कर दिया जाता है तो वादीगण को अपार क्षति होगी। जिसको क्षतिपूर्ति वादी को भविष्य में कभी भी नही हो सकेगी। इसलिये वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने बाबत वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना कानूनन आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 27–1–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा भूमि वादीगण के नाम नही कराने व दिनांक 28–1–2008 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के घर पर जाकर ऐलानिया धमकी वादी को देने की भूमि से जबरदस्त बेदखल कर भूमि को बेचने बाबत धमकी देने के कारण से ही वाद कारण पैदा हुआ है।

7. वादी निम्न निवेदन करता है कि:–

(क) दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1ता. 3 के विरूद्ध इस बाबत अधिकार घोषणा की इस कदर डिक्री फरमायी जावे कि भूमि खं0न0 पुराना 1441 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 4 कुल रकबा 1.9 हैक्टे. भूमि वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 की खातेदारी में है, भूमि को हटाकर वादी के नाम की खातेदारी की घोषणा की जावें और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता. 3 का नाम जमाबंदी से हटाकर वादी के नाम नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज वादी के नाम की जाने की घोषणा की जावें। इस कदर वादी के नाम घोषणा की डिक्री फरमायी जावें।

(ख) दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की इस कदर डिग्री फरमायी जाये कि भूमि खं.न. 5639, 5640, 5641, 5642 भूमि वाके ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि से वादी के कब्जे काश्त भूमि से बेदखल न करे, न ही फसल को नष्ट करे। ना ही वादी को भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमद व रूकावट पैदा नहीं करें। ना ही भूमि की दशा में किसी प्रकार का परिवर्तन करे। ना ही कच्चा व पक्का तामीरात भी नही करें। न हो भूमि में पेडो की कटाई छंटाई करे। इस प्रकार से प्रतिवादीगण नं 1 ता 3 को भी स्टे से प्रतिबन्धित किया जाये तथा प्रतिवादी नं 4 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे एवं प्रतिवादी नं. 5 को भी स्टे से पाबन्द किया जाये कि प्रतिवादी नं. 1,2 व 3 के कहने पर विवादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री दीगर

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

लोगो के नाम तस्दीक नही करे। आदि बातो के लिये प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर इनके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की घोषणा फरमायी जायें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलबी पूर्ण पायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। वादीगण का यह कथन स्वीकार है कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 1441 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 4 रकबा 1.09 हैक्टे० बने हैं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है । उक्त भूमि कभी भी वादी के पिता स्व. श्री भगता की वास्तविक खातेदारी की भूमि नहीं रही। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। नानगा के परिवार की वंशावली सही अंकित की गई है शेष कथन अस्पष्ट है। भूमि विवादग्रस्त कभी भी वादी के पिता स्व. श्री भगता की वास्तविक खातेदारी की भूमि नहीं रही। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। वादीगण का यह कथन कि साबिका खसरा नम्बर 1441 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5639, 5640, 5641, 5642 बने हैं, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रूडा की खातेदारी की भूमि थी, सही है परन्तु वादी का यह कथन कि साबिका खसरा नम्बर 1441 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 5639, 5640, 5641, 5642 भगता पुत्र नानगा की खातेदारी की भूमि थी, गलत है। वास्तव में उक्त भूमि रुडा पुत्र नानगा की ही खातेदारी एवं तन्हा कब्जे काश्त की भूमि थी जो गलती से भगता पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई थी। भगता ने अपने जीवनकाल में ही राजस्व भू–अभिलेखों में हो रही गलती को सुधारने के उद्देश्य से उक्त भूमि स्व. श्री रूडा के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा दी। उक्त भूमि पूर्व से ही श्री रूडा पुत्र नानगा के तन्हा कब्जे काश्त में थी और तब से अब तक निरन्तर पहले स्व. श्री रूडा तथा उनका वर्ष 1983 में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निरन्तर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बंदोबस्त के समय स्वयं भगता पुत्र नानगा ने उपस्थित होकर अपने बयान दिये और भूमि को स्व. श्री रूडा के लडकों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम किये जाने का अनुरोध किया जिसके आधार पर मिसल संख्या 873/1987 में सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 5–7–88 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 5–7–88 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया जिसकी जानकारी वादी को शुरू से रही है। वादी के पिता भगता ने अपने जीवनकाल में कभी भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और अब वादी उक्त इन्द्राज के विरूद्ध आपति करने से एस्टोप्ड हैं। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। वाद पत्र का पैरा संख्या 4 जिस प्रकार वर्णित किया

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

गया है, गलत है तथा उससे इनकार है। चूंकि भूमि विवादग्रस्त के संबंध में भू–प्रबंध अधिकारी के यहाँ प्रकरण चला और उसमें वादी के पिता भगता ने स्वयं उपस्थित होने बयान देकर भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी व कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का होना स्वीकार किया जिसके आधार पर दिनांक 5–7–88 आदेश पारित किया गया और उसकी अनुपालना में नामांतरकरण संख्या 62 नियमानुसार तस्दीक किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। यह सही है कि सहायक भू–अभिलेख अधिकारी की उक्त पत्रावली संख्या 873/1987 उपलब्ध नहीं हो रही है परन्तु उससे उक्त कार्यवाही को अवैध नहीं माना जा सकता। वास्तविक खातेदार कृषकगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम ही खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया जो पूर्णतः न्यायोचित है। विशेष विवरण अतिरिक्त प्रतिवाद में दर्ज है। प्रतिवादी ने अतिरिक्त प्रतिवाद में निवेदन किया कि ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त साबिका खसरा नम्बर 1441 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 5639, 5640, 5641, 5642 कुल किता 4 रकबा 1.09 हैक्टे० बने हैं प्रारम्भ से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री रूडा की वास्तविक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर पहले रूड़ा काबिज रहकर काश्त करता रहा और उनकी मृत्यु के पश्चात् रूडा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत ३ भूमि विवादग्रस्त पर तन्हा काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त सहबन भगता पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई जिस पर स्व. श्री रूडा ने आपत्ति की तो भगता दुरूस्ती करवाने का आश्वासन देता रहा और श्री रूड़ा के स्वर्गवास के पश्चात भगता पुत्र नानगा ने अपने जीवनकाल में ही राजस्व भू–अभिलेखों में हो रही गलती को सुधारने के उद्देश्य से उक्त भूमि स्व. श्री रूडा के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करवा दी। उक्त भूमि पूर्व से ही स्व. श्री रूडा पुत्र नानगा के तन्हा कब्जे काश्त में थी और तब से अब तक पहले स्व. श्री रूडा तथा उनका वर्ष 1983 में स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 निरन्तर तन्हा काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बंदोबस्त के समय स्वयं भगता पुत्र नानगा ने उपस्थित होकर अपने बयान दिये और भूमि को स्व. श्री रूडा के लड़कों प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम किये जाने का अनुरोध किया जिसके आधार पर मिसल संख्या 873/1987 में सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 5–7–88 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 5–7–88 को तस्दीक किया जाकर राजस्व भू–अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया । सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 5–7–88 को पारित निर्णय एवं उक्त निर्णय के आधार पर तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 62 दिनांक 5–7–88 व राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की जानकारी वादी को शुरू से रही है। वादी के पिता मांगा ने अपने जीवनकाल में कभी भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और अब वादी उक्त इन्द्राज के विरूद्ध आपत्ति करने से एस्टोप्ड हैं। स्व. श्री रूड़ा ने भूमि विवादग्रस्त में आज से करीब 40 वर्ष पुराना एक पक्का मकान

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

निर्मित करवाया और पशुओं के लिए चारे एवं कृषि के काम आने वाले यंत्र व एक 40 फीट लम्बा व 12 फीट चौडा पशुओ को रखने के लिए टीन शेड बना रखा है तथा अपने नाम से बिजली कनेक्शन करीब वर्ष 1976–77 में प्राप्त किया और चारों ओर खाम डोल का निर्माण करवाया। रूडा के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने करीब 8 वर्ष पूर्व एक बडा हॉल बनवाया, सन् 2000 में एक बोरिंग करवाया, भूमि विवादग्रस्त पर स्थित खाम डोल पर करीब 10 वर्षो पूर्व तारबन्दी करवाई इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का तथा उनके पूर्व उनके हक पूर्वाधिकारी का नियमित रूप से कब्जा काश्त है और उत्तरदाता प्रतिवादीगण ही भूमि विवादग्रस्त का तन्हा उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं। भगता पुत्र नानगा के भाई मांग्या पुत्र नानगा का स्वर्गवास 17 वर्ष पूर्व स्वर्गवास होने पर स्वयं भगता पुत्र नानगा व मांग्या पुत्र नानगा के विधिक उत्तराधिकारी लादू व छोटू पुत्रान मांग्या ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात को निरस्त करवाकर उक्त भूमि को वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने उन्हें उसी वक्त स्पष्टतः इनकार कर यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि उक्त भूमि तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण की ही खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है और यदि तुम्हारे कोई अधिकार यदि पूर्व में कभी थे भी तो वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर समाप्त हो गये । वादी ने उक्त स्थिति स्पष्ट कर देने के पश्चात भी ना तो सहायक भू–अभिलेख अधिकारी के दिनांक 5–7–88 को कोई चुनौती दी और ना भूमि विवादग्रस्त में अपने तथाकथित अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने हेतु अन्दर मियाद कोई दावा प्रस्तुत किया इस प्रकार यदि वादी के भूमि विवादग्रस्त में पूर्व में यदि कोई अधिकार कभी थे भी तो वे अधिकार भूमि विवादग्रस्त पर उत्तरदाता प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालफाना होने की वजह से समाप्त हो गये और अब वादी को दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। भूमि विवादग्रस्त पर वादी का वास्तविक कब्जा काश्त नहीं है वास्तविक कब्जे के अभाव में वादी द्वारा मात्र अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जो कब्जे के सम्बन्ध में पारिणामिक अनुतोष चाहे बिना चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने दावे में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है इस प्रकार दावे में अनावश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का दोष होने से दावा मौजूदा सूरत में चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। यदि वादी दावे में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध भी किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो वादीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे दावा प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 80 जा. सरदारदी के तहत पूर्व नाटिस प्रेषित करते जिसके अभाव में दावा चल नहीं सकता और निरस्त किये जाने योग्य है। वादी का पिछले 40–50 वर्षो से भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक कब्जा नहीं है और कब्जे का अनुतोष प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत करने की समायावधि समाप्त हो चुकी है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्पष्टतः मियाद बाहर होने की वजह से भी खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक अधिकारों की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी वादी ने वास्तविक तथ्यों

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जिला- जयपुर

को छुपाते हुए तथा गलत तथ्य अंकित करने हुए यह दावा उत्तरदाता प्रतिवादीगण को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है और इसलिये उत्तरदाता प्रतिवादीगण, वादीगण से विशेष हर्जे व खर्चे के रूप में 20000/- रूपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादौत्तर प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विशेष हर्जे व खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादी से विशेष हर्जे के रूप में 20 हजार रूपये की राशि दिलाई जावें।

उक्तानुसार वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा अनुसार कुल 05 तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी के पिता भगता पुत्र नानगा की भूमि है, जिसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता. 3 का नाम डिलीट कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

......वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का वादी अधिकारी है।

......वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी गलती से भगता पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई जिसे भगता ने अपनी जीवनकाल में बंदोबस्त के समय सहमति से दुरूस्त करा दी। वादी का वाद खारिज योग्य है।

.......प्रतिवादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई सरोकार अधिकार एवं कब्जा कास्त नही रहा है। वादी का वाद झूठे रेसजूडी केटा के आधार पर खारिज योग्य है।

........प्रतिवादीगण

5. अन्य अनुतोष ?

उक्त तनकीयात पर वादी द्वारा साक्ष्य में ....।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य बहस एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया, जिनके अनुसार उक्त वाद का निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार से किया जा रहा हैः-

तनकी संख्या 01: आया वादग्रस्त आराजी वादी के पिता भगता पुत्र नानगा की भूमि है, जिसका वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता. 3 का नाम डिलीट कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

उक्त तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 1441 .... बिस्वा हाल ख0न0 5639, 5640, 5641 व 5642 कुल रकबा 1.0900 हैक्टे0 वाके ग्राम अचरोल उनके पिता भगता की खातेदारी भूमि थी। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता भगता पुत्र नानगा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संवत 2023 से 2040 तक खातेदारी में दर्ज थी। ...मौत होने पर गोपी (वादी) के नाम नामान्तरकरण खोला जाना

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

चाहिये था, जो नही किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम मिसल सख्या 873/1987 निर्णय दिनांक 05.07.1988 के अनुसार फर्जी तरीका अपनाकर नामान्तरकरण संख 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 के माध्यम से खातेदारी में दर्ज कर दी गई। वादी का यह भी कथन है कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय वादी के पिता भगता वादगस्त भूमि के खातेदार थे। साथ में यह भी कथन करते है कि भगता की मृत्यू के पश्चात वादी के एकमात्र वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सेटलमेंट विभाग की मिसल संख्या 873/1987 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गय परन्तु विभाग द्वारा उक्त पत्रावली रिकॉर्ड एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित होने तथा उक्त पत्रावली रिकॉर्ड में उपलब्ध नही होने के आधार पर प्रार्थना पत्र नत्थीबद्ध कर दिया गया एवं वादी एवं वादी उक्त पत्रावली की नकल प्राप्त करने में नाकाम रहा। वादी द्वारा वादकारण के संबंध में वादपत्र में कथन किया गया है कि पूर्व में तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की रजिस्ट्री या खातेदारी वादी के पक्ष में करवा देने के लिए सहमत थे परन्तु दिनांक 27.01.2008 का उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में करवा देने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। इसलिये वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा अपने वाद में समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत 2062–65, प्रदर्श पी–2, सर्वे शीट सन् 1983–84, प्रदर्श पी–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी–4 पर्चा खतौनी भू प्रबंध विभाग, प्रदर्श पी–5 प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र की फोटो प्रति, प्रदर्श पी–7 जमाबंदी संवत 2037–40, प्रदर्श पी–8 जमाबंदी संवत 2033–36 एवं प्रदर्श पी–9 जमाबंदी सवंत 2023–2026 प्रस्तुत किये गये हैं मौखिक साक्ष्य मे Pw-1 गोपी(वादी), Pw-2 जगदीश सैनी, Pw-3 रविन्द्र कुमार, Pw-4 शंकर, Pw-5 कैलाश प्रस्तुत किये गये है।

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्ट्रांत 2020(1) RRT 24, निगरानी संख्या 01/अलवर/77 मातादीन बनाम श्रीराम निर्णय दिनांक 18.09.1982, निगरानी संख्या 230/चूरू/75 लादी बनाम भुराराम निर्णय दिनांक 24.03.1983, निगरानी संख्या 21/श्रीगंगानगर/75 अमीलाल बनाम गिरधारी लाल निर्णय दिनांक 02.07.1979 प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं साक्ष्य में किये गये अभिवचनों के विवेचन से यह स्थिति उभर कर आती है कि वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता भगती की खातेदारी भूमि थी तथा भू0 प्रबंध विभाग द्वारा मिसल संख्या 873/87 निर्णय दिनांक 05.07.1988 के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर पर्चा खतौनी जारी कर दी गई। वादी का कथन है कि वह भगता का वारिस होने के नाते उक्त भूमि का खातेदार भगता की मृत्यू के पश्चात दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी द्वारा न तो अपने वादपत्र में एवं न ही बयानों में यह स्पष्ट किया गया है कि उसके पिता भगता की मृत्यू कब हुई थी। आया उसकी मृत्यू नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकार करने की दिनांक से पूर्व हुई थी अथवा पश्चात में हुई थी। वादी द्वारा अपने पिता भगता का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी कथन नहीं किया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 62 भगता की विरासत का था अथवा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जिला- जयपुर

अन्य किसी आधार पर दर्ज किया गया था। यदि उक्त नामान्तकरण भगता की अनुचित विरासत के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकृत किया जाना साबित होता तो वादी के इस कथन को बल मिलता कि भगता की विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि की वादी के हक में खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी, परन्तु इस तथ्य को साबित करने में वादी पूर्णतया विफल रहा है। नामान्तरकरण संख्या 62 मिसल संख्या 873/87 में पारित किसी सक्षम आदेश पर स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भगता की विरासत में वादग्रस्त भूमि शेष नही रह जाती है तथा वादी के हक में खातेदारी दर्ज किये जाने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नही रहता है। जहॉ तक वादी का कथन है कि भू0 प्रबंध विभाग द्वारा जालसाजी कर अनुचित तरीके से उसके पिता के नाम स्थित खातेदारी भूमि को प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, यह कथन साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नही होता है। मिसल संख्या 873/87 भू0 प्रबंध विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध नही होने मात्र के आधार पर वादी का उक्त कथन सत्य नही माना जा सकता है। यहॉ तक कि वादी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकृत दिनांक 05.07.1988 की प्रतिलिपि भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने का कोई सुस्पष्ट प्रयास नही किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है तथा विपक्ष की कमजोरियों का लाभ वादी को नहीं दिया जा सकता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में एवं बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्ट्रांतों में इस कथन पर बल दिया गया है कि भू0 प्रबंध विभाग को अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार उपलब्ध नही है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी सक्षम आदेश के भू0 प्रबंध विभाग द्वारा अधिकार अभिलेख में परिवर्तन नही किया जा सकता है परन्तु सक्षम आदेश के जरिये नामान्तरकरण भू0 प्रबंध कार्यवाही के दौरान अधिकार अभिलेख में परिवर्तन किये जाने का अधिकार भू0 प्रबंध विभाग को है। वादी हस्तगत प्रकरण में इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है कि मिसल संख्या 837/87 में पारित निर्णय एवं तत्पश्चात स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 62 किसी सक्षम आदेश के बिना पारित किया गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि भू0 प्रबंध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहॉ तक की सन् 1988 में नामान्तरकरण संख्या 62 स्वीकार किये जाने के पश्चात वादी के हकपूर्वाधिकारी उनके पिता भगता द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की गई है तथा लगभग बीस वर्ष पश्चात वादी यह वाद लेकर आये है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में भी वादकारण के रूप में वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में खातेदारी नहीं करवाने अथवा रजिस्ट्री नहीं करवाने के कारण घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी का यह कथन भी घोषणा के अनुतोष के विरोधाभाषी है क्योंकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी काश्तकार द्वारा अपने पूर्व स्थित काश्तकारी अधिनियमों की घोषणा मात्र करवाई जा सकती है, कोई नवीन खातेदारी अधिकार उत्पन्न करने का कोई अनुतोष राजस्व न्यायालय उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदान नहीं कर सकता है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि का [illegible] काश्तकार है तथा उसके द्वारा उक्त भूमि का लगान अदा किया जा

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]मेर, जिला- जयपुर

रहा है। इसके अभाव में वादी काश्तकार की परिभाषा में नही आता है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने वादपत्र में जिस वादकारण का उल्लेख किया गया है वह समुचित व स्पष्ट नही है तथा वादी का वाद वादकारण के अभाव से भी दूषित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भी वादी के वाद को साबित करने में असमर्थ है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट्रांत भी मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्ट्रांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सक्षम आदेश के अभाव में भू0 प्रबंध विभाग को अधिकार अभिलेख में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है एवं वादी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में भू0 प्रबंध विभाग द्वारा मिसल संख्या 837/87 में पारित निर्णय व नामान्तरकरण संख्या 62 किसी सक्षम आदेश के बिना पारित किये गये है।

उपर्युक्त विवेचन से मेरे विनम्र मत में वादी तनकी संख्या 01 को साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है तथा यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02: आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का वादी अधिकारी है।

चूँकि तनकी संख्या 01 विरूद्ध वादी निर्णित की जा चुकी है तथा वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार साबित नही है। अतः उसे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। परिणामस्वरूप तनकी संख्या 02 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 एवं 04: (03) आया वादग्रस्त आराजी गलती से भगता पुत्र नानगा के नाम दर्ज हो गई जिसे भगता ने अपनी जीवनकाल में बंदोबस्त के समय सहमति से दुरूस्त करा दी। वादी का वाद खारिज योग्य है।(04) तनकी संख्या 04: आया वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई सरोकार अधिकार एवं कब्जा कास्त नही रहा है। वादी का वाद झूठे रेसजूडी केटा के आधार पर खारिज योग्य है।

चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 विरूद्ध वादी निर्णित की जा चुकी है। अतः तनकी संख्या 03 व 04 अप्रासांगिक हो चुकी है तथा पारिणामिक रूप से उक्त तनकियों को प्रतिवादी के पक्ष में साबित होना एज्यूम किया जाता है।

अनुतोषः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(बी. 20 रुल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, आमेर** जिला **जयपुर** ब इजलास **श्री बजरंग लाल स्वामी (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या : 45/2008

1. गोपी पुत्र भगता, जाति अहीर, निवासी ग्राम अचरोल, हाल निवासी खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1 बोदू पुत्र स्व0 श्री रूडा (मृतक दौराने वाद)
  1/1. कालू पुत्र बोदू
  1/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र बोदू
  1/3. मु0 रानी पुत्री बोदू
  1/4. मु0 लाडा देवी पुत्री बोदू
  1/5. मु0 तुफानी देवी पुत्री बोदू
  जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2 प्रभात पुत्र स्व0 श्री रूडा (मृतक दौराने वाद)
  2/1. मु0 संतोष पत्नी प्रभात
  2/2. बाबूलाल पुत्र प्रभात
  2/3. मु0 मिश्री देवी पुत्री प्रभात
  2/4. मु0 मुन्नी देवी पुत्री प्रभात
  जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3 सरदार पुत्र स्व0 श्री रूडा, जाति अहीर, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5 श्रीमान उप पंजीयक अधिकारी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

--- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :- 16.05.2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी आमेर व हाजरी वकील वादी मिमजामिन मुददई रुबरु मिमजामिन मुददा यालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दी का दावा बाबत अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि के बाबत वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

मोहर

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2	–
स्टाम्प वकालत नामा	2	–	स्टाम्प वकालत नामा	2	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–		–	–
मीजान	4	–	मीजान	4	–

मोहर

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर